उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1998)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए और उससे सम्बन्धिता और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

[भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है]

अध्याय एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 18 मार्च, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2– इस अधिनियम में –

(क) ''परीक्षा केन्द्र'' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है;

(ख) ''परीक्षार्थी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे किसी सार्वजनकि परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) ''सार्वजनिक परीक्षा'' का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा है, जो उसमें विधिपूर्वक फल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिए संचालित की जाय;

(घ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में,जबकि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो,''अनुचित साधन'' का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित अंकित (रेकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन,वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

अध्याय दो
अनुचित साधनों का निवारण

अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध

3– कोई परीक्षार्थी किसी सार्वजनिक परीक्षा में नहीं करेगा।

प्रश्नगत पत्र की अप्राधिकृत

4– कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्त्तव्य पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिए

प्राप्ति और प्रकटीकरण

प्राधिकार या अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न–पत्र के वितरण के लिए निर्धारित समय से पूर्व–

(क) न तो ऐसे प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को या उसके किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा,

(ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध

5– कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थित के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गयी हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौपें गए कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा और न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध

6– कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहाँ बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।

प्रबन्धतन्त्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा

7– कोई व्यक्ति, जो ऐसी संस्था के जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबन्धतन्त्र में होते हुए या कर्मचारी वर्ग में होते हुए या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा गया हो, सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।

सर्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायेगा।

8– कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा।

अध्याय तीन
शास्ति और प्रक्रिया

अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए शास्ति

9– जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

जानकारी देने के लिए शास्ति

10– जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के

उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति प्रक्रिया

11—जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का या उपहति का या हमले का या सदोष अवरोध का, भयकारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के अधीन दण्डनीय अपराध करेगा, वहकारावास से,जिसकी अवधि पॉच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

प्रक्रिया

12—(1) धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होगा।

(2) धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धरा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन संहित, ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।

अध्याय चार
विविध

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

13—राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

14—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन पर अनूसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

15—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

16— (1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्ययादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तद्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारबान समय पर प्रवृत्त थे।